WWW.LIVELAW.IN

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220317
CG-DL-E-02072020-220317

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942**
No. 250] **NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942**

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2020

(2020 का संख्या 3)

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13)/खंड.।। (2020 का संख्या 3) - आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 14) की धारा 54 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उप-खंड (खख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद् द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2), को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का संख्या 3) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 27(1)(ख) के उपरांत नए विनियम 27(1)(ग) की प्रविष्टि .-**

"(ग) आधार नंबर धारक कोई भी निवासी, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अपने आधार नंबर को निरस्त करने के लिए, अनुसूची-VI में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करेगा/ करेगी, जो निवासी की अठारह वर्ष की आयु प्राप्त होने के छह महीने की अवधि के अंतर्गत उक्त क्षेत्रीय कार्यालय को सुनिश्चित

WWW.LIVELAW.IN

रूप से पहुंच जाए। आवेदन की प्राप्ति के उपरांत, निवासी को विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर आधार प्रमाणीकरण या प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित पहचान के ऐसे किसी अन्य माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के लिये जाना अपेक्षित होगा। निवासी की पहचान स्थापित होने के उपरांत, क्षेत्रीय कार्यालय निवासी के आधार नंबर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा तथा आधार नंबर को तीन महिनों की अवधि के भीतर रद्द कर दिया जाएगा ।

बशर्ते यह कि निवासी जिसने 26 सितंबर, 2018 के बाद और आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 की अधिसूचना से पहले अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, इस अधिसूचना की तिथि से छह महीनों की एक अवधि के अंदर उसी तरह आवेदन कर सकता है, जैसा उसके आधार नंबर को रद्द करने के लिए इस विनियम में रेखांकित किया गया ।"

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में निम्नलिखित अनुसूची- VI की प्रविष्टि.-

"अनुसूची- VI

अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार रद्द करने के लिए निवासी द्वारा आवेदन के लिए प्रपत्र

[आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित "आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) की धारा 3क की उप-धारा 2 के अधीन"]

(इन विनियमों के विनियम 27(1)(ग) को देखें)

1.	आधार नंबर/ईआईडी संख्या	
2.	नाम	
3.	लिंग	
4.	माता-पिता का नाम	
5.	पता	
6.	जन्म-तिथि	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	प्रमाणन के लिए किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय का चयन करें (कृपया दिल्ली/चंडीगढ़/मुंबई/ लखनऊ/हैदराबाद/ गुवाहाटी/रांची/ बेंगलुरू में किसी एक का चयन करें)	
9.	घोषणा	आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथा संशोधित "आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14)" की धारा 3क की उप-धारा 2 के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं अपना आधार रद्द करवाना चाहता हूं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण वास्तविक, सही और सटीक है तथा मुझसे संबंधित है। मैं यह पुष्टि भी करता हूं कि मैं यह आवेदन निम्नलिखित के छह महीने के भीतर कर रहा हूं: *(क)* अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर; या *(ख)* आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 की अधिसूचना पर (26 सितंबर, 2018 के उपरांत तथा इस अधिसूचना की तिथि से पहले अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर)

WWW.LIVELAW.IN

10.	हस्ताक्षर/हाथ के अंगूठे की छाप	
11.	स्थान	
12.	दिनांक	

उन क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची जिनमें से किसी एक को निवासी द्वारा आवेदन भेजने के लिए और तत्पश्चात प्रमाणीकरण के लिए चुना जाना है (आवेदन के क्रमांक 8 के संदर्भ में): -

i. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू- खनीजा भवन, नं. 49, तृतीय तल, दक्षिण विंग, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरू -01

ii. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़- एससीओ 139-141, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़-160017

iii. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली- भूतल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

iv. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई- 7वां तल, एमटीएनएल एक्सचेंज बिल्डिंग, जी.डी.सोमानी मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई – 400005

v. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची- प्रथम तल, आरआईएडीए केंद्रीय कार्यालय भवन, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, एसटीपीआई लोवाडीह के पास, रांची – 834010

vi. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी- ब्लॉक-V, प्रथम तल, हाउसफीड कांप्लेक्स, बेल्टोला बशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006

vii. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद- 6वां तल, ईस्ट ब्लॉक, स्वर्ण जंयती कांप्लेक्स, मातृवनम के पास, हैदराबाद, तेलंगाना – 500038

viii. यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ- तृतीय तल, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम भवन, टीसी-46/V, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010”

पंकज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./110/2020-21]

नोट : मुख्य विनियमों को दिनांक 14 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 का संख्या 2) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया था। इन विनियमों को बाद में दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 1); दिनांक 07 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 2); दिनांक 11 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 3); दिनांक 31 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 5); 12 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13) (2018 का संख्या 1); 31 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्या 2) तथा 09 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(13)/खंड.।। (2019 का संख्या 3) के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में संशोधित और प्रकाशित किया गया था।”

WWW.LIVELAW.IN

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

(No. 3 of 2020)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (13)/Vol.II (No. 3 of 2020). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (bb) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as amended vide "The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019)", the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (No.2 of 2016), namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These Regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Eighth Amendment) Regulations, 2020 (No. 3 of 2020).

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new Regulation 27(1) (c) after Regulation 27 (1) (b) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

"(c) A resident who is an Aadhaar number holder may, upon attaining the age of eighteen years, make an application for cancellation of his/her Aadhaar number to a Regional Office of Authority in the format prescribed in Schedule VI, so as to reach that Regional Office within a period of six months from the date of attaining the age of eighteen years. Upon receipt of the application, the resident shall be required to visit the Regional Office at a stipulated date and time for establishing his/her identity through Aadhaar authentication or any other means as may be prescribed by the Authority. Upon establishment of the identity of the resident, the Regional Office shall initiate the process of cancellation of the Aadhaar number, which shall be cancelled within a period of three months.

Provided that a resident who had attained the age of eighteen years after 26th September, 2018 and prior to the notification of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Eighth Amendment) Regulation, 2020 may make an application, in the same manner as outlined in this regulation for cancellation of his/her Aadhaar number within a period of six months from the date of this notification.**"**

3. Insertion of the following Schedule VI in the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016.-

"SCHEDULE VI

Format for application by resident for Aadhaar cancellation on attaining the age of eighteen years

[(Under sub-section 2 of Section 3A of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services)Act, 2016, as amended vide "the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019)"]

(Refer Regulation 27(1)(c) of these Regulations)

1.	Aadhaar No./EID No.	
2.	Name	
3.	Gender	
4.	Parent's name	

WWW.LIVELAW.IN

5.	Address	
6.	Date of Birth	
7.	Mobile No.	
8.	Choice of one Regional Office for authentication (Please choose one out of Delhi/Chandigarh/Mumbai/ Lucknow/Hyderabad/Guwahati/Ranchi /Bengaluru)	
9.	Declaration	In terms of sub-section 2 of Section 3A of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, as amended vide "The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019; I hereby state that I want to get my Aadhaar number cancelled. I also affirm that details given above are true, correct and accurate and pertain to me. I also confirm that I am making this application within six months of: (a) attaining the age of eighteen years; or (b) notification of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Eighth Amendment) Regulations, 2020 (having attained the age of eighteen years after 26th September, 2018 and before the date of such notification).
10.	Signature/ Thumb Impression	
11.	Place	
12.	Date	

List of regional offices out of which one has to be opted by resident for sending application and for subsequent authentication (Ref. S. No. 8 of this application):-

i. **UIDAI Regional Office**, Khanija Bhavan, No. 49, 3rd Floor, South Wing Race Course Road, Bengaluru – 01

ii. **UIDAI Regional Office**, SCO 139-141, 3rd and 4th Floor, Sector 17-C, Chandigarh-160017

iii. **UIDAI Regional Office**, Ground Floor, Pragati Maidan Metro Station, Pragati Maidan, New Delhi-110001

iv. **UIDAI Regional Office**, 7th Floor, MTNL Exchange Building, G.D. Somani Marg, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005

v. **UIDAI Regional Office**, 1st Floor, RIADA Central Office Building, Namkum Industrial Area, Near STPI Lowadih, Ranchi - 834 010

vi. **UIDAI Regional Office,** Block-V, First Floor, HOUSEFED Complex, Beltola Basistha Road, Dispur, Guwahati- 781006

vii. **UIDAI Regional Office**, 6th Floor, East Block Swarna Jayanthi Complex, Beside Matrivanam, Ameerpet Hyderabad, Telengana -500 038

viii. **UIDAI Regional Office**, 3rd Floor, Uttar Pradesh, Samaj Kalyan Nirman Nigam Building, TC-46/V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010"

PANKAJ KUMAR, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./110/2020-21]

WWW.LIVELAW.IN

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated 14th September, 2016. These regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notifications No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 1 of 2017) dated 15th February, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 2 of 2017) dated 7th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017) dated 11th July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 5 of 2017) dated 31st July, 2017; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No.1 of 2018) dated 12th January, 2018; No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13) (No. 2 of 2018) dated 31st July, 2018 and No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI(13)/Vol.II (No. 3 of 2019) dated 09th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.07.02 18:01:32 +05'30'